छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
LPER-1665
दि. 13/9/17
छत्तीसगढ़ शासन

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 04/09/2017

क्रमांक एफ 1–2/2014/16 :– कारखाना अधिनियम 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए, एतद्द्वारा किसी ऐसे मामले में, जिसमें तीसरी अनुसूची में उल्लेखित कोई रोग कारखाने के किसी श्रमिक में लगे होने की आशंका की जाती हो, की पुष्टि के प्रयोजन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित चिकित्सालयों/सस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों को सक्षम व्यक्ति नियुक्त करता है।

अनुक्रमांक	चिकित्सालय/संस्थानों का नाम
(1)	(2)
1	पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
2	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईसेस (सिम्स), बिलासपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
3	स्व श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
4	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
5	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
6	पंडित जे.एन.एम. अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, सेक्टर–9, भिलाई (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
7	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
8	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक
9	प्रमाणक शल्यज्ञ (कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 10 के अनुरूप)
10	उप संचालक (चिकित्सा) एवं सहायक संचालक (चिकित्सा), औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग
11	प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित जिला अस्पताल (जहां संगत रोगों की पुष्टि की सुविधा हो) के विशेषज्ञ चिकित्सक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

14/9/17

(ए0केरकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

.....2.....

Government of Chhattisgarh

Labour Department

Mahanadi Bhavan, Mantralaya, Naya Raipur

//Notifacation//

New Raipur, Date :04/09/2017

No. F 1-2/2014/16 :- In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 90 of the Factories Act., 1948 (No. LXIII of 1948), the state Government in supersession of all previous orders hereby appoints following medical officers of the hospitals/Institutions specified in the column (2) of the schedule below, to be competent person for the purpose of conformation into any case where a disease specified in the Third Schedule is suspected to have been contracted in a factory.

Sl. No.	NAME OF HOSPITAL/ INSTITUTION
(1)	(2)
1	Specialist doctors of Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur (C.G.)
2	Specialist doctors of Chhattisgarh Institute of Medical Science (CIMS), Bilaspur (C.G.)
3	Specialist doctors of Late shri Baliram kashyap Memorial Medical College, Jagdalpur (C.G.)
4	Specialist doctors of Late shri Lakhiram Agrawal Memorial Medical College, Raigarh (C.G.)
5	Specialist doctors of All India Institute of Medical Sciences, Raipur (C.G.)
6	Specialist doctors of Pt J N Hospital & Research Centre, Sector- 9 Hospital, Bhilai (C.G.)
7	Specialist doctors of Government Medical College, Ambikapur (C.G.)
8	Specialist doctors of Government Medical College, Rajnandgaon (C.G.)
9	Certifying surgeons (as per section 10 of the factories act 1948) in their respective areas
10	Deputy Director (Medical/Health) & Assistant Director (Medical/ Health), Industrial Health & Safety, Labour Department in their respective areas
11	Specialist doctors of District Hospital situated in various districts of the State (where the facility of Confirmation of corresponding diseases exists)

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh,

04/09/17

(A.Kerketta)
Under Secretary,
Govt, of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन एफ 1–2/2017/16 नया रायपुर, दिनांक 04/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
5. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
7. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/हाईजिन लैब ।
8. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जांजगीर–चांपा/बलौदाबाजार/अंबिकापुर/जगदलपुर।
9. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
योग:–	तहसील पत्थलगाँव	पत्थलगाँव बागबहार	40	पटवारी हल्के	80 1	ग्राम पंचायत नगर पंचायत	109 0 109	राजस्व ग्राम (जिसमें नगरीय ग्राम 02) वनग्राम कुल ग्राम
योग:–	जिला जशपुर	राजस्व निरीक्षक मण्डल 10	208	पटवारी हल्के	417 1 1	ग्राम पंचायत। नगर पालिका–परिषद् नगर पंचायत।	755 11 766	राजस्व ग्राम (जिसमेंसे नगरीय ग्राम 03 एवं वीरान ग्राम 01 है।) वनग्राम कुल ग्राम

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक एफ 1-8/2008/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. F 1-8/2008/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri K. D. P. Rao, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक एफ 10-2/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27, 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में प्रसारित पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2007/16, रायपुर दिनांक 01 जून 2007 को निरस्त करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये श्रमायुक्त नियुक्त करता है.

No. F 10-2/2008/16.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous Labour Department Notification No. F 10-3/2007/16 Raipur dated 01-06-2007 regarding this matter the State Government hereby appoints Shri K. D. P. Rao to be the Commissioner of Labour for the Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
के. डी. पी. राव, सचिव

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-7/2010/16.—मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनियुक्ति जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन नंदिनी रोड भिलाई द्वारा किया जा रहा है एवं मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद के माननीय औद्योगिक न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए,उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या इकाई में कार्यरत समस्त श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2007-08 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान एवं 10 प्रतिशत एक्सग्रेसिया राशि पाने का पात्र है ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-7/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, लघु उद्योग श्रमिक यूनियन मजदूर सभा भवन नंदिनी रोड भिलाई एवं मैनेजर मेसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाईल्स लिमिटेड 923-945, उरला ग्रोथ सेंटर, इंडस्ट्रियल स्टेट पो.आ. सरोरा सेक्टर डी., उरला रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक संबंध क्रमांक 04/तीन/सी.जी.आई.आर./2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

शुद्धि पत्र

अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12.— दिनांक 14-08-2009 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009, प्रकाशित किया गया है. अशुद्ध रूप से मुद्रित नियम-2 "प्रतिषेध" को नियम-3 "प्रतिषेध" पढ़ा जाये एवं तदानुसार नियम-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को नियम-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 शुद्ध रूप से पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की शुद्धि पत्र क्रमांक 7-9/2003/12, दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2010

CORRIGENDUM

Notification No. 7-9/2003/12.—The rule 2 'Prohibition' to be read as Rule 3 'Prohibition' and subsequently Rule 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 be read as Rule 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 of Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009 published in the official gazette on dated 14-8-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-6/2010/16.—प्रबंधक, श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनियुक्ति जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त इंजीनियरिंग मजदूर संघ, दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद के माननीय श्रम न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप श्रम न्यायालय, राजनांदगांव के पंच

निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर से 1.50 का हितलाभ दिये जाने का क्या औचित्य है ?

2. इस संबंध में श्रमिकों को क्या लाभ दिया जाना चाहिए ?

3. श्रमिकों को रु. 300/- वाहन भत्ता दिये जाने की मांग की गई है, क्या लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं ?

4. प्रति वर्ष कार्यरत श्रमिकों को 2 यूनिफार्म दिये जाने की मांग की गई है ? तत्संबंध में श्रमिकों को क्या लाभ दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि राजनांदगांव के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त इंजीनियरिंग मजदूर संघ, दुर्ग एवं श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक संबंध क्रमांक 02/तीन/सी.जी.आई.आर./2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/6/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	देवरी प. ह. नं. 02	918/6	0.567	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			922	0.190		
			942	0.182		

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), अनुविभागीय अधिकारी, गरियाबंद, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक/एफ 1/48/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त महानिरीक्षक, एस.आई.बी./प्रशिक्षण/सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 08-12-2009 से दिनांक 11-12-2009 तक कुल 04 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त महानिरीक्षक, एस.आई.बी./प्रशिक्षण/सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिधारी नायक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक 23/184/2010/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री जी. एस. देशपाण्डे, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर के 45 दिवसीय चिकित्सा अवकाश पर रहने के कारण, उनके अवकाश अवधि में श्री जी. एस. कालसी, कार्यपालक निदेशक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त कार्यभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संपादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रम आयुक्त नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-70/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर के राजस्व जिले के भीतर वर्तमान में गठित श्रम न्यायालय का विभाजन करते हुए अर्थात् श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 एवं श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है, श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 में नगर निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं नगर पालिका, बीरगांव की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं रायपुर जिला के धरसींवा विकासखण्ड के क्षेत्र के भीतर उद्भूत श्रम विवादों के प्रकरण पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे तथा रायपुर जिले की 12 तहसीलों बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, बिन्द्रानवागढ़, राजिम, पलारी, आरंग, तिल्दा, अभनपुर, कसडोल, बिलाईगढ़, देवभोग एवं महासमुंद राजस्व जिला को सम्मिलित करते हुए श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है जिसमें इन क्षेत्रों से उद्भूत, श्रम विवादों के प्रकरण श्रम न्यायालय, क्रमांक-02 में पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे.

No. F 1-70/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby, bifurcates the Labour Court presently constituted for Revenue District of Raipur into two Courts namely Labour Court No. 1 and Labour Court No. 2 Raipur. Labour disputes arising within the limits of Municipal Corporation, Raipur and within the Limits of Municipality Birgaon and only Dharsiwa block of Raipur Revenue District shall be registered and disposed of according to law by the Labour Court No. 1 Raipur, and Labour Court No. 2 Raipur is being constituted for the area comprising of 12 Tahsils of Raipur Revenue district viz. Baloda Bazar, Bhathapara, Simga, Bindranawagarh, Rajim, Palari, Aarang, Tilda, Abhanpur, Kasdol, Bilaigarh, Devbhog and whole Revenue District of Mahasamund to register and dispose of Labour disputes according to law, arising out of these areas.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	9.442	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-70/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर के राजस्व जिले के भीतर वर्तमान में गठित श्रम न्यायालय का विभाजन करते हुए अर्थात् श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 एवं श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है, श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 में नगर निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं नगर पालिका, बीरगांव की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं रायपुर जिला के धरसींवा विकासखण्ड के क्षेत्र के भीतर उद्भूत श्रम विवादों के प्रकरण पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे तथा रायपुर जिले की 12 तहसीलों बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, बिन्द्रानवागढ़, राजिम, पलारी, आरंग, तिल्दा, अभनपुर, कसडोल, बिलाईगढ़, देवभोग एवं महासमुंद राजस्व जिला को सम्मिलित करते हुए श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है जिसमें इन क्षेत्रों से उद्भूत, श्रम विवादों के प्रकरण श्रम न्यायालय, क्रमांक-02 में पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे.

No. F 1-70/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby, bifurcates the Labour Court presently constituted for Revenue District of Raipur into two Courts namely Labour Court No. 1 and Labour Court No. 2 Raipur. Labour disputes arising within the limits of Municipal Corporation, Raipur and within the Limits of Municipality Birgaon and only Dharsiwa block of Raipur Revenue District shall be registered and disposed of according to law by the Labour Court No. 1 Raipur, and Labour Court No. 2 Raipur is being constituted for the area comprising of 12 Tahsils of Raipur Revenue district viz. Baloda Bazar, Bhathapara, Simga, Bindranawagarh, Rajim, Palari, Aarang, Tilda, Abhanpur, Kasdol, Bilaigarh, Devbhog and whole Revenue District of Mahasamund to register and dispose of Labour disputes according to law, arising out of these areas.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	9.442	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ-10-17/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम, 1982 की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. **मृत्यु सहायता योजना :—**

(अ) योजना का प्रावधान:—

(i) योजना का नाम श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 2011 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जावेगी.

क्रमांक	वर्तमान सहायता राशि	संशोधित सहायता राशि
1.	1,000/-	10,000/-

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता:—**

(i) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते हैं के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया:—**

(i) आवेदन पत्र में श्रमिक के परिजनों (पत्नी, पुत्र/पुत्री अथवा अन्य परिजनों) में किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिये.

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//
—00—

रायपुर, दिनांक: 13/12/2011

क्रमांक एफ 10–15/2011/16:– छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (कमांक 27 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) के विकास आयुक्त को उस क्षेत्र विशेष के लिये श्रमायुक्त के अधिकार प्रत्यायोजित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.डी.कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग.

Notification

No. F.no. 10-15/2011/16:- In exercise of powers conferred by Sub-section-1 of Section-3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby delegates all the powers of the Labour Commissioner to the development commissioner for Special Economic Zone (SEZ) established in the state of Chhattisgarh.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K.D.Kunjam)
Dy. Secretary
Government of C.G., Labour Department

contd...2/

पृ0क्रमांक एफ 10–15/2011/16. रायपुर, दिनांक: 13/12/2011

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0),
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय,, रायपुर, (छ0ग0),
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर, (छ0ग0),
5. समस्त कलेक्टर, छ0ग0,
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, (छ0ग0),
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0),
8. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0),
9. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0), की ओर प्रेषित व लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां वि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग.

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//
—00—

रायपुर, दिनांक: 13/12/2011

क्रमांक एफ 10–15/2011/16:– छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (कमांक 27 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) के विकास आयुक्त को उस क्षेत्र विशेष के लिये श्रमायुक्त के अधिकार प्रत्यायोजित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.डी.कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग.

Notification

No. F.no. 10-15/2011/16:- In exercise of powers conferred by Sub-section-1 of Section-3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby delegates all the powers of the Labour Commissioner to the development commissioner for Special Economic Zone (SEZ) established in the state of Chhattisgarh.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K.D. Kunjam)
Dy. Secretary
Government of C.G., Labour Department

contd...P/

"[illegible] पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2012—आश्विन 9, शक 1934

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-7/2012/16.—छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध नियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को लागू नहीं होंगे, तथापि उक्त लोप श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर या इसके पूर्व लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों को इस प्रकार निपटाया जाएगा या अग्रसर किया जाएगा जैसे कि मदों का लोप नहीं किया गया हो, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	उद्योगों के नाम (2)
1.	कपड़ा जिसमें सम्मिलित है कपास, सिल्क, कृत्रिम सिल्क, स्टेपल फाइबर, जूट तथा कारपेट.
2.	लोहा एवं इस्पात.
3.	विद्युत सामग्री.

(1)	(2)
4.	शक्कर एवं इसके उप उत्पाद जिसमें :— (i) शक्कर उत्पाद के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है, एवं (ii) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो इस उत्पाद के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हों, सम्मिलित है.
5.	सीमेंट.
6.	विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण.
7.	लोक वाहन यातायात.
8.	इंजीनियरिंग जिसमें मोटरयान का विनिर्माण सम्मिलित है.
9.	स्टार्च.
10.	पाटरिज जिसमें सम्मिलित है रिफ्रेक्टरी गुड्स, फायर ब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, स्टोनवेअर, पाईप्स, फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सेरेमिक गुड्स.
11.	रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग.
12.	एल्युमिनियम.
13.	चमड़ा तथा टेनरीज जिसमें चमड़ा उत्पाद सम्मिलित है.
14.	कागज एवं स्ट्राबोर्ड.
15.	फरमनटेशन उद्योग :— (एक) एल्कोहल. (दो) फरमनटेशन उद्योग के अन्य उत्पाद.
16.	दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण तथा इसका वितरण.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F 11-7/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, directs that the provision of said Act shall not apply to the Industries specified in the Schedule below, however the said omission shall not affect the cases pending, on or prior to the date of issue of this notification before the Labour Court, Industrial Court or before any other Court of Law and such cases shall be disposed of or proceeded with as such items had not been omitted, namely :—

S. No.	Name of Industries
(1)	(2)
1	Textiles, including cotton, silk, artificial silk, staple fibre, jute and carpet.
2	Iron and Steel.
3	Electrical goods.
4	Sugar and its by products, including :— (i) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concern engaged in the manufacture of sugar, and (ii) all agricultural and industrial operations connected with the growing of sugarcane or the said manufacture.
5	Cement.
6	Electricity generation, transmission and distribution.
7	Public motor transport.
8	Engineering including manufacture of Motor Vehicle.
9	Starch.
10	Potteries including refractory goods, fire bricks, sanitary wares, insulators, tiles, stone ware, pipes, furnace lining bricks and other ceramic goods.

	(2)
11.	Chemical and chemical products industry.
12.	Alluminium.
13.	Leather and tanneries, including Leather Products.
14.	Paper and Straw Board.
15.	Fermentation Industries
	(i) Alcohol.
	(ii) Other Products of Fermentation Industries
16.	Manufacture of Dairy Products and its distribution.

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2012—आश्विन 9, शक 1934

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-7/2012/16.—छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध नियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को लागू नहीं होंगे, तथापि उक्त लोप श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर या इसके पूर्व लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों को इस प्रकार निपटाया जाएगा या अग्रसर किया जाएगा जैसे कि मदों का लोप नहीं किया गया हो, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	उद्योगों के नाम (2)
1.	कपड़ा जिसमें सम्मिलित है कपास, सिल्क, कृत्रिम सिल्क, स्टेपल फाइबर, जूट तथा कारपेट.
2.	लोहा एवं इस्पात.
3.	विद्युत सामग्री.

(1)	(2)
4.	शक्कर एवं इसके उप उत्पाद जिसमें :— (i) शक्कर उत्पाद के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है, एवं (ii) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो इस उत्पाद के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हों, सम्मिलित है.
5.	सीमेंट.
6.	विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण.
7.	लोक वाहन यातायात.
8.	ईंजीनियरिंग जिसमें मोटरयान का विनिर्माण सम्मिलित है.
9.	स्टार्च.
10.	पाटरिज जिसमें सम्मिलित है रिफ्रेक्टरी गुड्स, फायर ब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, स्टोनवेअर, पाईप्स, फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सेरेमिक गुड्स.
11.	रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग.
12.	एल्युमिनियम.
13.	चमड़ा तथा टेनरीज जिसमें चमड़ा उत्पाद सम्मिलित है.
14.	कागज एवं स्ट्राबोर्ड.
15.	फरमनटेशन उद्योग :— (एक) एल्कोहल. (दो) फरमनटेशन उद्योग के अन्य उत्पाद.
16.	दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण तथा इसका वितरण.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F 11-7/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, directs that the provision of said Act shall not apply to the Industries specified in the Schedule below, however the said omission shall not affect the cases pending, on or prior to the date of issue of this notification before the Labour Court, Industrial Court or before any other Court of Law and such cases shall be disposed of or proceeded with as such items had not been omitted, namely :—

S. No. (1)	Name of Industries (2)
1.	Textiles, including cotton, silk, artificial silk, staple fibre, jute and carpet.
2.	Iron and Steel.
3.	Electrical goods.
4.	Sugar and its by products, including :— (i) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concern engaged in the manufacture of sugar, and (ii) all agricultural and industrial operations connected with the growing of sugarcane or the said manufacture.
5.	Cement.
6.	Electricity generation, transmission and distribution.
7.	Public motor transport.
8.	Engineering including manufacture of Motor Vehicle.
9.	Starch.
10.	Potteries including refractory goods, fire bricks, sanitary wares, insulators, tiles, stone ware, pipes, furnace lining bricks and other ceramic goods.

(1)	(2)
11.	Chemical and chemical products industry.
12.	Alluminium.
13.	Leather and tanneries, including Leather Products.
14.	Paper and Straw Board.
15.	Fermentation Industries (i) Alcohol. (ii) Other Products of Fermentation Industries.
16.	Manufacture of Dairy Products and its distribution.

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम मनोहर पाठक, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 1-39/2012/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 के व्यक्तियों को स्तंभ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट उद्योग एवं स्थानीय क्षेत्रों के लिए संराधक नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	उद्योग (3)	क्षेत्र (4)
1.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 6 उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रम पदाधिकारी/उप श्रम पदाधिकारी	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आने वाले समस्त उद्योग	समस्त स्थानीय क्षेत्र

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 1-39/2012/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	प्रथम अनुसूची (2)	अनुक्रमांक (3)	द्वितीय अनुसूची (4)
1.	श्री एस. एल. जांगड़े	1.	श्री ताराचंद पटेल
2.	श्री एस. पी. वर्मा	2.	श्री अजय हेमंत देशमुख
3.	श्रीमती सविता मिश्रा	3.	श्री रणवीर कपूर
4.	श्री देव प्रकाश तिवारी	4.	श्री व्ही. आर. पटेल
5.	श्री यू. के. मेश्राम	5.	श्री विलियम याकुब लकड़ा
6.	श्रीमती अनिता गुप्ता	6.	श्री बी. एस. वर्मा
7.	श्री भंवरसिंह बरिहा	7.	श्री पी. एस. सैयाम
8.	श्री सूर्यभान सिंह पैकरा	8.	श्री रूबेन खेस
9.	श्री विकास सरोदे	9.	श्री पी. के. बिंचपुरिया
10.	श्री यू. के. कच्छप	10.	श्री डी. के. राजपूत

(1)	(2)	(3)	(4)
		11.	श्री एस. के. सिंह
		12.	श्री जी. डी. प्रसाद
		13.	श्री आर. के. तम्हाने
		14.	श्री अशोक चौरसिया
		15.	श्री किंगजोर केरकेट्टा
		16.	श्री के. के. सिंह

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 1-3/2012/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान सेवा की चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
(1) ये नियम भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान सेवा की (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा और उक्त पदों के संबंध में सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे.

4. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की, कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग तथा व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिये उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी.

6. **निरसन :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास	—	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, समाज कल्याण	—	सदस्य (पदेन)
5.	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	—	सदस्य (पदेन)
6.	संचालक स्वास्थ्य सेवायें	—	सदस्य (पदेन)
7.	श्रीमती लक्ष्मी बघेल, विधायक, बलौदा बाजार	—	सदस्य
8.	श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक, कांकेर	—	सदस्य
9.	श्रीमती रजनी त्रिपाठी, विधायक, भटगांव	—	सदस्य
10.	डॉ. प्रमोद शर्मा, विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	—	सदस्य
11.	डॉ. प्रीती शर्मा, प्राध्यापक, समाज शास्त्र, रायपुर	—	सदस्य
12.	श्रीमती शैलेंदरी परगनिया	—	अधिवक्ता रायपुर
13.	श्री संतोष पाण्डेय	—	शासकीय अधिवक्ता
14.	श्रीमती हेमलता चंद्राकर, रायपुर	—	सदस्य
15.	श्रीमती सुधा दर्मा, बिलासपुर	—	सदस्य
16.	डॉ. आभा सिंह (HOD एवं प्राध्यापक) स्त्री रोग विशेषज्ञ-मेडिकल कॉलेज, रायपुर	—	सदस्य
17.	डॉ. श्रीमती माया दुबे-दुबे नर्सिंग होम गोंडपारा, बिलासपुर	—	सदस्य
18.	डॉ. वीरेंद्र कुर्रे, सह-प्राध्यापक-मेडिकल कॉलेज, रायपुर	—	सदस्य
19.	डॉ. अशोक अग्रवाल, चिल्ड्रन अस्पताल मगरपारा, बिलासपुर	—	सदस्य
20.	डॉ. विष्णु दत्ता, प्राध्यापक-पं. ज. ला. ने. स्मृति चिकित्सालय, रायपुर	—	सदस्य
21.	डॉ. अजय सोमनानी-सोमनानी एक्स रे, सिम्स बिलासपुर के सामने	—	सदस्य
22.	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	सदस्य सचिव (पदेन)

2. मंडल की बैठक चार माह में कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी.
3. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा.
4. मंडल में आवश्यकतानुसार सदस्य सहयोजित किये जा सकेंगे, परन्तु सहयोजित सदस्यों की संख्या मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा महासमुंद के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय महासमुंद का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय क्रमांक 02 रायपुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Mahasamund having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Mahasamund and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court No. 2 Raipur.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बलौदाबाजार के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय बलौदाबाजार का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय क्रमांक 02 रायपुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Balodabazar having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Balodabazar and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court No. 2 Raipur.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोरिया के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय मनेन्द्रगढ़ का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय अंबिकापुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Manendragarh having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Koriya and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court Ambikapur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	गीधा प.ह.नं. 46	2.55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(3)

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक : 28-05-2013

क्रमांक एफ 1–13/2013/16 :– छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोरिया के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय मनेन्द्रगढ़ का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय अंबिकापुर से उक्त जिला वापस लेती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम से तथा
आदेशानुसार

(एन.डी.कुंदानी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

//NOTIFICATION//

No. F 1-13/2013/16 :- In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act. 1960(No.27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Manendragarh having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Koriya and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court Ambikapur.

By order and in the name of
Governor of chhattisgarh

(N.D.Kundani)
Under Secretary
Govt.of C.G., Labour Deptt.

कार्यालय श्रम आयुक्त, छ.ग. रायपुर
आदेश क्रमांक 691
दिनांक 31.5.13

निरंतर.....

पृष्ठांकन क्र. एफ 1–13/2013/16 रायपुर दिनांक 28-05-2013

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.)
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर, (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला – कोरिया की ओर सूचनार्थ।
5. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मनेन्द्रगढ़/श्रम न्यायालय अंबिकापुर (छ.ग.)
6. श्रम न्यायालय,मनेन्द्रगढ़/श्रम न्यायालय अंबिकापुर (छ.ग.),की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, कोरिया/अंबिकापुर (छ.ग.)
8. उप संचालक, क्षेत्रीय केन्द्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़ राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25.09.18

क्रमांक एफ 10–15/2018/16 :– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि कारखानों में महिला कामगारों को शाम 07.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य, कतिपय शर्तों, जो कि महिला कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विहित किया जाये, के साथ नियोजित किया जा सकेगा, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाना के मालिक के आवेदन पर कारखाना का मुख्य निरीक्षक, महिला कामगारों से सम्यक् परामर्श और सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित शर्तों सहित कारखाना में महिला कामगारों के नियोजन हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(दिव्या उमेश मिश्रा) 25/9/18
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25.09.18

क्रमांक एफ 10–15/2018/16 :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–15/2018/16, दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(दिव्या उमेश मिश्रा) 25/9/18
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

Atal Nagar, Raipur, Date :- 25.09.18

No. F-10-15/2018/16 :- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (No.LXIII of 1948), the State Government, hereby, declares that women workers may be employed in the factories between 7 P.M. and 10 P.M. with certain conditions as may be prescribed to ensure health, safety and welfare of the women workers. on application from occupier of any factory,

निरंतर.....2

registered under the said Act, the Chief Inspector of the Factory, may after due consultation and obtaining the consent of women workers. grant permission for employment of women workers in the factory with the above mentioned conditions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Divya Umesh Mishra)
Deputy Secretary
Govt. Of C.G., Labour Deptt

पृ0 क्रमांक एफ 10–15/2018/16 **अटल नगर, रायपुर, दिनांक** 25.09.18

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, ।
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी..... (छ.ग.)
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/हाईजिन लैब ।
7. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जांजगीर–चांपा/बलौदाबाजार /अंबिकापुर/जगदलपुर।
8. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
9. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. गार्ड फाईल।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग